THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) The Central Government have approved and announced the following three Growth Centres for Tamil Nadu in October, 1989.—

Name of Growth Centre	District
1. Mayiladuthurai—Poompuhar	Thanjavur
2. Erode	Periyar
3. Tirunelveli (Gangai Kondan Nanur Block) . . .	Tirunelveli—Kattabomman

(c) Does not arise.

नई परिवार कल्याण नीति

836. श्री अनन्त राम जायसवाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार कल्याण की एक नई नीति सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसके लक्ष्य क्या हैं ;

(ख) क्या इस नई नीति को लोकप्रिय बनाने के लिये इसके अधीन नये प्रोत्साहन और हतोत्साहन प्रदान किये गये हैं ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या नई नीति में ग्राम पंचायतों के परिवार कल्याण के उन विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने पर, जो उनके लिये निश्चित किये गये थे, विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है ; यदि हां, तो वे कौन-कौन से विशेष प्रोत्साहन हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में परिवार कल्याण की सपूर्ची कार्यनीति की समीक्षा की जा रही है। इस संदर्भ में प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों संबंधी प्रस्तावों सहित विभिन्न प्रस्तावों और विकल्पों की जांच की जा रही है। इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सीमेंट का मूल्य निर्धारण

837. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1990 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में "डेडलाक ओवर सीमेंट प्राइसिंग इस्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सीमेंट की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने के कारण इसके दाम घटाये नहीं जा सकते हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सीमेंट की उत्पादन लागत का कोई विश्लेषण किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) :

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) निविष्टियां जैसे कोयला, रेल भाड़ा तथा विद्युत टैरिफ की लागतों

में वृद्धि से सीमेंट की कीमतों में वृद्धि हुई है। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा मई, 1990 में किये गये एक मोटे अनुमान से पता चला है कि मार्च, '89 की लागत की तुलना में कोयला तथा सीमेंट के भाड़े में हुई वृद्धियों से कुल सीमेंट की लागत में लगभग 4% की वृद्धि हुई, विद्युत टैरिफ में वृद्धि से लगभग 15% कोयले की रायल्टी मूल्य में वृद्धि से भी प्रति टन लागत में वृद्धि लगभग 1.5% हुई है और जूट के कट्टों की लागत में वृद्धि से यह लगभग 2% हुई है।

(ग) और (घ) उद्योग के लिये उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिये औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा हाल ही में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, इसके द्वारा उचित बिक्री मूल्य के अनुमानों की समीक्षा की गई है जिसके ब्यौरे अनुबंध पर दिये गये हैं।

अनुबंध

सीमेंट की प्रति मीट्रिक टन लागत

क्र०सं०	मद	प्रति मी०टन लागत (रुपये)	टिप्पण
1	2	3	4
1.	कच्चा माल	85	1.5 मी० टन चूने का पत्थर
2.	बिजली	154	120 एकक 1.28 रुपये प्रति के०डब्ल्यू०एच०
3.	कोयला	168	250 कि०ग्रा० 330/–प्रति मी० टन
4.	स्टोर्स तथा स्पेयर्स	45	1000 कि०मी० के लिये माल भाड़ा।
5.	वेतन तथा मजदूरी	45*	यदि 190 किग्रा० का मानदण्ड नहीं लिया जाता है तो 343 रु० मी० टन की लागत 120 रु० होगी।
6.	खर्चे	41*	
7.	पैकिंग लागत	132*	
8.	विपणन खर्चे	38*	
9.	योग :	708	
10.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	44	
11.	मूल्य में कमी, ब्याज तथा लाभ	207	1500/– रु० मी० टन पर सीमेंट की पूंजीगत लागत
12.	पैकेड सीमेंट की कुल लागत	959	
13.	औसत माल भाड़ा	253	650 कि०मी० की औसत अग्रता पर
14.	उत्पाद शुल्क	226	

1	2	3	4
15.	कुल लागत (एफ०ओ०आर०)	1438	
16.	केन्द्रीय बिक्री कर 4%	58	
17.	चुंगी	12	
18.	स्टाकिस्ट संबंधी अतिरिक्त राशि =	80	
19.	स्थानीय बिक्री कर (7%)	111	
20.	उपभोक्ता मूल्य/मी०टन०	1699	
21.	उपभोक्ता मूल्य/बैग	84.95	

* 1989–90 में 80% के उद्योग के लिये वास्तविक औसत के स्थान पर लिया गया 85% क्षमता उपयोग। (क्रम सं० 4 से 8 तक के आंकड़े नमूना सीमेंट एककों के लेखा से प्राप्त मंत्रालय द्वारा सत्यापित)

= स्थानीय परिवहन इत्यादि सहित।

ग्रामीण उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग लगाये जाने के लिए प्रोत्साहन

838. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र में करीब 5000 लोगों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त कार्यक्रम के अधीन इन लोगों के चयन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या इस चयन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पुश्तैनी शिल्पकारों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का विद्यमान व्यक्तिगत योजनाओं को उद्यमियों की तीन श्रेणियों में परिवर्तित करने का विचार है। चालू वर्ष के दौरान 4000 उद्यमियों को ग्रामीण उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम के अधीन ग्राम्य उद्योग में अपने उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ख) जिन योजनाओं में निवेश अन्तर्ग्रस्त है, उनका इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है:—

श्रेणी–i : 3 लाख रु० से 5 लाख रु० तक।

श्रेणी–ii : 50,000 रु०/– से 3.00 लाख रु० तक।

श्रेणी–iii : 25,000 रु०/– से 50,000 रु० तक।

(ग) और (घ) जी, हां। योजना की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुये विभिन्न योजनाओं के लिये अलग-अलग योग्यतायें तथा अनुभव निर्धारित किये गये हैं।

(ङ) चयन करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों तथा पुश्तैनी